

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ  
पीठासीन अधिकारी सुश्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 79/2021

उनवान

1. श्री रतनदास पुत्र श्री छोगादास बैरागी(वैष्णव) निवासी-औज्याडा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)

-प्रार्थी

बनाम

1. श्री लादू लाल वैष्णव पुत्र श्री उदादाद वैष्णव निवासी रघुनाथपुरा, औज्याडा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2. श्रीमती गीता देवी वैष्णव पत्नी श्री भगवान लाल वैष्णव निवासी औज्याडा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)

-अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956  
निर्णय दिनांक 29.03.2022

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 31.12.2021 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम औज्याडा पटवार हल्का औज्याडा प्रथम भूअ.नि. औज्याडा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 578 की कृषि भूमि की आराजी नम्बर 392/4 रकबा 0.3541 है, आराजी संख्या 400/2 रकबा 0.1770 है, आराजी नम्बर 962/2 रकबा 0.1012 है, कुल किता 03 कुल रकबा 0.6323 है। एवं खाता संख्या 267 आराजी नम्बर 961 रकबा 0.0379 है कुल किता 01 कुल रकबा 0.0379 है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।


प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 22.12.2021 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 से 02 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है। प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

-::आदेश::-

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जातेहैंकि ग्राम औज्याडा पटवार हल्का औज्याडा प्रथम भूअ.नि. औज्याडा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 578 की कृषि भूमि की आराजी नम्बर 392/4 रकबा 0.3541 है, आराजी संख्या 400/2 रकबा 0.1770 है, आराजी नम्बर 962/2 रकबा 0.1012 है, कुल किता 03 कुल रकबा 0.6323 है। एवं खाता संख्या 267 आराजी नम्बर 961 रकबा 0.0379 है कुल किता 01 कुल रकबा 0.0379 है। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 500/-रु० पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/-रु० की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 29.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फौसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

  
(अंशुल आमेरिया)  
उपखण्ड अधिकारी

